



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112025-268077  
CG-DL-E-28112025-268077

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 790]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2025/अग्रहायण 7, 1947

No. 790]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2025/AGRAHAYANA 7, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

सं. 49 /2025-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 876(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, परियोजना आयात विनियम, 1986 में आगे और भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है यथा:-

- (1) इन विनियमों को परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम 29 नवंबर, 2025 से लागू होंगे।

2. परियोजना आयात विनियमन, 1986 की सारणी में क्रम संख्या 3चच के समक्ष, कॉलम 2 और 3 में, मद (xiii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

2.	3.
“(xiv) जयपुर मेट्रो परियोजनाएँ	प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक (परियोजना), राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमआरसीएल)”

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/260/2022-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**नोट:** मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), दिनांक 3 अप्रैल, 1986 को सा.का.नि. 580(अ), दिनांक 3 अप्रैल, 1986 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. 72(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2023 के द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2025

**No. 49/2025-Customs**

**G.S.R. 876(E).**— In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Project Imports Regulations, 1986, namely:-

- (1) These regulations may be called the Project Imports (Amendment) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force on the 29<sup>th</sup> day of November, 2025.
- In the Project Imports Regulations, 1986, in the TABLE, against Sr. No. 3FF, in columns 2 and 3, after item (xiii) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be inserted, namely:-

2.	3.
“(xiv) Jaipur Metro Projects	Managing Director or Director (Project), Rajasthan Metro Rail Corporation Limited (RMCL)”

[F. No. CBIC-190354/260/2022-TRU Section-CBEC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 3<sup>rd</sup> April, 1986, *vide* number G.S.R. 580 (E), dated the 3<sup>rd</sup> April, 1986 and was last amended *vide* number G.S.R.72(E), dated the 1st February, 2023.